ब- ''मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना'' (मध्यम गहरे नलकूप)

प्रदेश के 31 से 60 मीटर गहराई वाले जलग्राही क्षेत्रों में मध्यम गहरे नलकूप कार्यक्रम कियान्वित किया जायेगा। कार्यक्रम में सभी जाति/श्रेणी के कृषक पात्र होगें। उक्त कार्यक्रम में 150-200 एम.एम. व्यास के यू.पी.वी.सी. पाईप (आई.एस. 12818:2010 यथा संशोधित) द्वारा बोरिंग करायी जायेगी। वैसे क्षेत्र जहां पी0वी0सी0 पाइप से बोरिंग कराया जाना सम्भव नही हैं, के लिये एम.एस. पाइप (आई0एस0 4270:2001 यथा संशोधित) के विशिष्टियों वाली आई.एस.आई. मार्क का प्रयोग अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई के अनुमोदन कराकर किया जायेगा। मध्यम गहरे नलकूप से सृजित सिंचन क्षमता का मानक प्रति नलकूप 10 हेक्टयर है तथा इस योजना का वित्त पोषण जिला योजनान्तर्गत राज्य संसाधनों से किया जायेगा।

कार्यक्रम का उद्देश्यः-

प्रदेश के ऐसे एल्यूवियल क्षेत्रों में जहां पर उथले नलकूप का निर्माण कराकर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना कठिन है, उन क्षेत्रों में छोटी/हल्की रिंग मशीनों/मेकेनाइज्ड यूनिट द्वारा 31 मीटर से 60 मीटर की गहराई में बोरिंग का निर्माण कराकर कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है।

कृषक-लाभार्थी की पात्रता श्रेणीः-

(a)- मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना (मध्यम गहरे नलकूप) में सभी श्रेणी के कृषक पात्र होंगे किन्तु जो कृषक मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना (उथले नलकूप) एवं गहरे नलकूप की योजना में पूर्व से लाभान्वित है, उन्हे इस योजना का लाभ तभी मिलेगा जब वे पूर्व योजना के डिफाल्टर न हो तथा ऋण का पूर्ण भुगतान कर चुके हों।

(b)- कृषक का पंजीकरण प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना pmkisan.gov.in अथवा पारदर्शी किसान सेवा पोर्टल http://upagripardarshi.gov.in पर होना अनिवार्य है।

(c)- कृषक द्वारा बोरिंग कराने हेतु वेब-पोर्टल jjmup.org पर ऑन लाइन आवेदन ही स्वीकार किया जायेगा।

(d)- कृषक द्वारा उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबन्धन एवं विनियमन) अधिनियम,-2019 के प्राविधान के अन्तर्गत बोरिंग का पंजीकरण भूगर्भ जल के पोर्टल http://upgwdonline.in पर कराना अनिवार्य होगा।

योजना का कार्य क्षेत्र तथा नलकूप निर्माण हेतु मानक:-

(1) योजना प्रदेश के समस्त जनपदों के पथरीले क्षेत्रों (हार्ड रॉक एरिया को छोड़कर) में क्रियान्वयन की जायेगी। अतिदोहित व क्रिटिकल विकास खण्डों में नलकूप का निर्माण नहीं किया जायेगा। योजनान्तर्गत नलकूप स्थल से 300 मीटर के व्यास में कोई उथला/मध्यम गहरा/गहरा नलकूप नहीं होना चाहिए।

(2) यह योजना सामान्यतः उन्हीं क्षेत्रों मे चलायी जायेगी जहाँ पर भूगर्भ जल स्तर नीचा होने अथवा स्ट्रेटा उपलब्ध न होने के कारण उथली बोरिंग किया जाना कठिन हो। मध्यम गहरे नलकूपों का निर्माण उन्हीं क्षेत्रों में किया जायेगा, जहाँ 31 मीटर से 60 मीटर तक गहराई के नलकूप की आवश्यकता होगी।

(3) नलकूप का निर्माण तभी कराया जायेगा जब प्रस्तावित नलकूप से न्यूनतम 6 हेक्टेयर शुद्ध व 10 हेक्टेयर सकल भूमि सिंचित किया जाना संभव होगा। इसमें कृषक की भूमि के अतिरिक्त आस-पास के कृषकों की भूमि सिंचाई हेतु भी सम्मिलित की जा सकेगी, जो लाभार्थी-कृषक से किराये पर सिंचाई सुविधा लेंगे।

(4) ऐसे कृषकों को जो उद्यान विभाग/कृषि विभाग द्वारा संचालित सूक्ष्म सिंचाई पद्धति (ड्रिप/स्प्रिंकलर) सिंचाई प्रणाली अथवा "प्रधानमंत्री कुसुम योजना" से सौर ऊर्जा चालित पम्पसेट का लाभ लेने हेतु कृषि विभाग के पोर्टल http://upagripardarshi.gov.in अथवा यथा संशोधित पोर्टल पर पंजीयन करायेगें एवं लाभ लेगें, उन कृषकों को बोरिंग कराने में वरीयता प्रदान की जायेगी।

योजना की लागतः-

इस योजना में एक मध्यम गहरे नलकूप की लागत में ड्रिलिंग, पाईप एवं अन्य सामग्री पर व्यय, पम्प हाउस एवं डिलिवरी टैंक का निर्माण, विद्युतीकरण, विद्युत/डीजल पम्पसेट/जनरेटर सेट तथा जल-वितरण प्रणाली में होने वाला व्यय सम्मिलित होगा।

अनुमन्य अनुदान–

योजना में समस्त श्रेणी के कृषकों को 31 मीटर से 60 मीटर मध्यम गहरे नलकूप का निर्माण कराये जाने पर नलकूप लागत का 50 प्रतिशत अथवा रू0 75000 (रू0 पचहत्तर हजार मात्र) जो भी कम हो का अनुदान अनुमन्य होगा। अगर किसी मामले में वास्तविक ड्रिलिंग के समय गहराई 60 मीटर से अधिक पाई जाती है, तो अनुदान 60 मीटर की गहराई तक ही अनुमन्य होगा। अतिरिक्त व्यय धनराशि का पूर्ण भुगतान कृषक को करना होगा। नलकूप में जल वितरण प्रणाली की स्थापना हेतु रू0 10000.00 का अनुदान भी अतिरिक्त रूप से अनुमन्य होगा। इस प्रकार योजना में नलकूप निर्माण पर जल वितरण प्रणाली की लागत को सम्मिलित करते हुये कुल अधिकतम रू0 85000/– (रू0 पच्चासी हजार मात्र) प्रति नलकूप का अनुदान अनुमन्य होगा।

योजनान्तर्गत निर्मित नलकूपों का ऊर्जीकरण यथा सम्भव ''प्रधानमंत्री कुसुम योजना'' से कराने पर विशेष बल दिया जायेगा। ऐसे क्षेत्र जहां ''प्रधानमंत्री कुसुम योजना'' से ऊर्जीकरण सम्भव नही है, वैसे क्षेत्रों के बोरिंगों का ऊर्जीकरण विद्युत के माध्यम से ऊर्जीकरण हेतु उपलब्ध अनुदान से किया जायेगा। मध्यम गहरी बोरिंग योजना में अनुमन्य अनुदान के अतिरिक्त प्रत्येक नलकूप पर ऊर्जीकरण के लिये समय–समय पर विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित प्रति नलकूप अनुमन्य धनराशि (वर्तमान में रू0 68000.00) अथवा वास्तविक लागत जो भी कम हो अनुमन्य होगी। यह धनराशि नलकूप का छिद्रण होने के पश्चात् नलकूप के ऊर्जीकरण हेतु लाभार्थी के नाम सहित उ0प्र0 पावर कारपोरेशन को उपलब्ध करायी जायेगी। उसके उपरान्त भी यदि सभी लाभार्थियो द्वारा ऊर्जीकरण न कराये जाने की स्थिति आती है तो प्रत्येक वर्ष माह दिसम्बर के अंत तक लक्ष्यों में संशोधन का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

नलकूप निर्माण की प्रकिया एवं अनुदान की स्वीकृति–

(1) इच्छुक एवं पात्र कृषक मध्यम गहरे नलकूप योजना में नलकूप निर्माण हेतु अपना प्रार्थना पत्र मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई द्वारा निर्धारित रूपपत्र पर निर्धारित सर्वेक्षण शुल्क रू0 1500 (रू0 एक हजार पाँच सौ मात्र) सहित अवर अभियन्ता, लघु सिंचाई से पूर्ण, कराकर सहायक

अभियन्ता, लघु सिंचाई को उपलब्ध करायेंगे तथा सहायक अभियन्ता लघु सिंचाई इसकी सूचना अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग को प्रेषित करेंगे। प्रत्येक कृषक के आवेदन पत्र को jjmup.org पर सबमिट करना होगा।

(2) अधिशासी अभियन्ता लघु सिंचाई, भूगर्भ जल विभाग/रिमोर्ट सेन्सिंग विभाग अथवा विभाग द्वारा अनुमोदित प्राईवेट एजेन्सी से जैसी भी स्थिति हो, नलकूप हेतु बोरिंग की उपयुक्तता के सम्बन्ध में 15 दिन में रिपोर्ट प्राप्त करेंगें। बोरिंग स्थल उपयुक्त पाये जाने की दशा में सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई, नलकूप निर्माण हेतु प्राक्कलन बनायेंगे और धन की आवश्कयता को अंकित करते हुए सम्बन्धित कृषक को सूचना 7 दिन के अन्दर भेजेंगे। कृषक अपनी आवश्यकता के अनुसार बैक से ऋण अथवा निजी संशाधनो से धन जमा करेगा। साइट के अनुपयुक्त पाये जाने के दशा में कृषक का प्रार्थना पत्र सहायक अभियन्ता, ल0 सिं0, अस्वीकृत करते हुए कृषक को इसकी सूचना देगे।

(3) स्थलीय सर्वेक्षण में स्थल उपयुक्त पाये जाने पर सहायक अभियन्ता (ल0सि0) नलकूप की बोरिंग हेतु प्राक्कलन तैयार कर अधिशासी अभियन्ता को स्वीकृति हेतु प्रेषित करेंगे तथा एक प्रति कृषक को भी उपलब्ध करायेंगे। प्राक्कलन की धनराशि का 50 प्रतिशत या अनुमन्य अनुदान एवं प्राक्कलन के अन्तर की धनराशि जो भी अधिक हो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व कृषक से जमा कराकर कृषक की बोरिंग पर कार्य वरीयता कम में करायेंगे तथा इस योजना के अन्तर्गत प्राप्त प्रार्थना पत्रों का कृषकवार वरीयता कम में विवरण मुख्य अभियन्ता द्वारा निर्धारित रूपपत्र पर रजिस्टर में अंकित कर रखा जायेगा जो निरीक्षण के समय अधिकारियों को उपलब्ध रहेगा।

(4) नलकूप निर्माण कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व कृषक को 100 रूपये के स्टाम्प पेपर पर इस आशय का अनुबन्ध करना होगा कि वह प्राप्त अनुदान एव ऋण का दुरूपयोग नहीं करेगा और निर्मित बोरवेल में निर्मित नलकूप एवं जल वितरण प्रणाली से सम्बन्धित समस्त निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्दर अवश्य पूर्ण कर लेगा। उक्त अनुबन्ध का प्रारूप मुख्य अभियन्ता (ल0सि0) द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

(5) बोरिंग के समय बोंरिग स्थल की बैरीकेटिग कृषक द्वारा अनिवार्य रूप से स्वयं करायी जायेगी, जिससे बच्चों के कूप में गिरने व अन्य को दुर्धटनाओं से बचाया जा सके।

निजी श्रोतों से नलकूप निर्माण की प्रकिया के सम्बन्ध में निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी–

(i) कृषक का बोरिंग स्थल उपयुक्त पाये जाने पर सहायक अभियन्ता द्वारा अनुमानित व्यय का प्राक्कलन कृषक को उपलब्ध कराया जायेगा। प्राक्कलन के अनुसार कृषक को बोरवेल की लागत (ड्रिलिंग तथा पाईप एवं अन्य सामग्री) पर होने वाले व्यय का 50 प्रतिशत या अनुमन्य अनुदान एवं प्राक्कलन के अन्तर जो भी अधिक हो की धनराशि विभाग में जमा करना होगा। कृषक द्वारा उक्त धन जमा कराये जाने के उपरान्त वरीयता कम निर्धारित किया जायेगा। विभाग द्वारा कृषक की उक्त जमा धनराशि एवं अनुमन्य अनुदान से स्वीकृत एवं आहरित करके सामग्री आदि की व्यवस्था की जायेगी तथा उपलब्ध धनराशि के अन्दर ड्रिलिंग एवं एसेम्बली लोवर करने का कार्य यथा सम्भव वरीयता कम में एक माह के अन्दर पूर्ण कर लिया जायेगा।

(ii) बोरवेल निर्मित होने के उपरान्त नलकूप निर्माण में डीजल पम्पसेट/विद्युत पम्पसेट/जनरेटर सेट, सबमर्सिबल पम्प आदि जो आवश्यक हो की हार्स पावर इत्यादि के सम्बन्ध में सहायक अभियन्ता द्वारा, निर्धारित प्रारूप पर कृषक को परामर्श दिया जायेगा तथा इसका कय कृषक द्वारा स्वयं किया जायेगा। बोरिंग कार्य पूर्ण हो जाने पर अधिकतम रू0 75000/–(रू0 पचहत्तर हजार मात्र) तक अनुमन्य अनुदान का लाभ सत्यापन/मूल्यांकन के उपरान्त कृषक को उपलब्ध कराया जायेगा। कृषक के अनुरोध पर आई0एस0आई0 मार्क डीजल पम्पसेट/विद्युत पम्पसेट/जनरेटर, सबमर्सिबल पम्प का कोटेशन/बिल विक्रेता से प्राप्त कर सहायक अभियन्ता (ल0सि0) को उपलब्ध कराने पर विभाग द्वारा बोरिंग कार्य के उपरान्त अवशेष अनुदान की धनराशि में से पम्पसेट के मूल्य का अधिकतम 50 प्रतिशत अथवा अनुमन्य अनुदान की अवशेष जो भी कम हो धनराशि डीजल पम्पसेट/विद्युत पम्पसेट/जनरेटर, सबमर्सिबुल पम्प के विक्रेता को कृषक द्वारा अधिकार पत्र देने पर ऑनलाइन 15 दिन के अन्दर सीधे बैंक खाते

में भुगतान की जायेगी। शेष धनराशि की व्यवस्था कृषक द्वारा स्वयं की जायेगी। ऐसे मामलों में जहां कृषक डीजल पम्परोट/विद्युत पम्परोट/जनरेटर, सबमर्सिबल पम्प क्रय कर लेता है तो बोरिंग कार्य के उपरान्त अवशेष अनुदान में से डीजल पम्परोट/विद्युत पम्परोट/जनरेटर, सबमर्सिबल पम्प के मूल्य का अधिकतम 50 प्रतिशत अथवा अनुमन्य अनुदान की अवशेष धनराशि जो भी कम हो का भुगतान सीधे कृषक के बैंक खाते में किया जायेगा।

(iii) कृषक द्वारा पम्प हाऊस इत्यादि का निर्माण कर देने के उपरान्त सहायक अभियन्ता(ल0सि0) को सूचित किया जायेगा तथा सहायक अभियन्ता(ल0सि0) द्वारा 15 दिन के अन्दर स्थल का निरीक्षण करने के उपरान्त अनुदान के समायोजन के सम्बन्ध में संस्तुति की जायेगी तथा अनुदान का समायोजन करते हुये यदि कृषक की जमा धनराशि एवं अनुमन्य अनुदान की धनराशि में से से कोई धनराशि शेष बचती है तो यह कृषक को सीधे बैंक खाते में वापस कर दिया जायेगा। जिन नलकूपों का विद्युतीकरण कराया जाना है उनके ऊर्जीकरण के लिए विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित प्रति नलकूप अनुमन्य धनराशि (वर्तमान में रू0 68,000/-) अथवा वास्तविक लागत जो भी कम हो लाभार्थी के नाम सहित उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन को उपलब्ध करा दी जायेगी तत्पश्चात् कृषक का लेखा बन्द कर दिया जायेगा।

(iv) बोरिंग असफल होने की स्थिति में कृषक द्वारा जमा किये धन में से विभाग द्वारा किये गये कुल व्यय का 10 प्रतिशत् अथवा रू0 1000/- जो भी कम हो, काटकर शेष राशि कृषक को वापस कर दी जायेगी।

<u>ऋण द्वारा नलकूप निर्माण की प्रकिया-</u>

(1) लघु सिंचाई विभाग के प्राक्कलन के आधार पर सम्बन्धित बैंक द्वारा ऋण स्वीकृत किया जायेगा। ऋण केवल उतनी ही मात्रा में स्वीकृत किया जायेगा जो अनुमन्य अनुदान की राशि को घटाकर शेष बचता है। कृषक आंशिक व्यय अपने श्रोतों से भी वहन कर सकता है परन्तु उक्त आंशिक धनराशि उसे बैंक में जमा करनी होगी।

(2) बैंक द्वारा एक माह के अन्दर ऋण की स्वीकृति प्रदान की जायेगी तथा उसकी स्वीकृति की सूचना सम्बन्धित कृषक एवं विभाग को दी जायेगी।

विभाग के अनुरोध पर ऋण की धनराशि बैंक द्वारा विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी। विभाग द्वारा अनुमन्य अनुदान की धनराशि एवं बैंक द्वारा उपलब्ध करायी गयी स्वीकृत धनराशि आहरित कर सामग्री इत्यादि की व्यवस्था की जायेगी एवं बोरवेल का निर्माण बैंक द्वारा धनराशि उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त यथा सम्भव एक माह के अन्दर किया जायेगा। बोरवेल का निर्माण होने की सूचना सहायक अभियन्ता (ल0सि0) द्वारा सम्बन्धित बैंक को दी जायेगी और यदि अनुमन्य अनुदान में से कोई धनराशि अवशेष बचती है तो वह विभाग द्वारा सम्बन्धित बैंक में कृषक के खाते में जमा करा दी जायेगी।बोरवेल के निर्माण के उपरान्त डीजल पम्पसेट/विद्युत पम्पसेट/जनरेटर सेट, सबमर्सिबल पम्प को हार्स पावर इत्यादि के विषय में कृषक को विभाग द्वारा परामर्श दिया जायेगा। कृषक बाजार में उपलब्ध अपनी मन पसन्द आई0एस0आई0 मार्क डीजल पम्पसेट/विद्युत पम्पसेट/ जनरेटर सेट, सबमर्सिबल पम्प का कोटेशन बिल विकेता से प्राप्त कर बैंक को उपलब्ध करायेगा। बैंक द्वारा उपलब्ध अवशेष अनुदान एवं ऋण की धनराशि में से डीजल पम्पसेट/विद्युत पम्पसेट/ जनरेटर सेट, सबमर्सिबल पम्प कय हेतु आवश्यक धनराशि पम्पसेट विकेता को 15 दिन के अन्दर भुगतान की जायेगी।

(3) डीजल पम्पसेट/विद्युत पम्पसेट/ जनरेटर सेट, सबमर्सिबल पम्प कय हेतु धनराशि प्राप्त होने के उपरान्त कृषक द्वारा 15 दिन के अन्दर डीजल पम्पसेट/विद्युत पम्पसेट/ जनरेटर सेट, सबमर्सिबल, पम्प कय कर स्थापित किया जायेगा। डीजल पम्पसेट/विद्युत पम्पसेट/ जनरेटर सेट, सबमर्सिबल पम्प स्थापित होने की सूचना कृषक द्वारा सम्बन्धित बैंक एवं सहायक अभियन्ता (ल0सि0) को दी जायेगी। सहायक अभियन्ता (ल0सि0) 15 दिन के अन्दर स्थल का निरीक्षण कर विद्युत कनेक्शन एवं पम्प हाऊस इत्यादि के निर्माण हेतु धनराशि अवमुक्त करने के लिये संबंधित बैंक को अपनी संस्तुति देंगे। बैंक द्वारा विद्युत कनेक्शन हेतु आवश्यक धनराशि उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन को पृष्ठांकित कर भुगतान की जायेगी तथा पम्प हाऊस इत्यादि के निर्माण हेतु धनराशि कृषक को उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त की सूचना बैंक द्वारा विभाग को दी जायेगी।

(4) कृषक द्वारा पम्प हाउस इत्यादि के निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि से पम्प हाउस एवं अन्य जो भी कार्य प्रस्तावित है, का निर्माण एक माह के अन्दर करा लिया जायेगा और इसकी सूचना संबंधित बैंक तथा सहायक अभियन्ता लघु सिंचाई को दी जायेगी। सहायक अभियन्ता लघु सिंचाई द्वारा सूचना प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर स्थल का निरीक्षण कर अनुदान के समायोजन के संबंध में संस्तुति की जायेगी। जिसके आधार पर अधिशासी अभियन्ता द्वारा अनुदान समायोजित किया जायेगा और इसकी सूचना बैंक को दी जायेगी।

<u>अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुः-</u>

(1) एसेम्बली लोवरिंग का कार्य सहायक अभियन्ता लघु सिंचाई से लोवरिंग चार्ट का अनुमोदन कराकर, अवर अभियन्ता, लघु सिंचाई की उपस्थिति में किया जायेगा।

(2) सामग्री के कय की व्यवस्था समय-समय पर शासन द्वारा जारी निर्देशों के अन्तर्गत अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग द्वारा भण्डार कय नियमों के अन्तर्गत जेम पोर्टल से की जायेगी।

(3) बोरिंग से कम से कम 4 लीटर प्रति सेकेण्ड अर्थात लगभग 3200 गैलन प्रतिघंटा का डिस्चार्ज प्राप्त होने पर बोरिंग को सफल घोषित किया जायेगा।

(4) मध्यम नलकूपों का निर्माण छोटी/हल्की रिंग मशीनों अथवा प्राइवेट मेकेनाइज्ड बोरिंग यूनिटों से कराया जायेगा। प्राइवेट मेकेनाइज्ड बोरिंग यूनिट की विशिष्टियाँ मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई द्वारा निश्चित की जायेगी तथा प्राइवेट रिंग मशीनों का पंजीकरण सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई करेगें, साथ ही प्राइवेट मैकेनाइज्ड बोरिंग करने वाली फर्म का पंजीकरण जनपद स्तर पर http://upgwdonline.in website पर पंजीकरण अनिवार्य होगा।

(5) विभाग द्वारा की गयी बोरिंग असफल होने पर सहायक अभियन्ता सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता को रिपोर्ट भेजेगें। अधिशासी अभियन्ता ल0सि0 एवं सर्वेक्षण एजेन्सी के प्रतिनिधि मौके पर नलकूप का निरीक्षण करने के उपरान्त मुख्य अभियन्ता, ल0सि0 विभाग द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर निर्णय लेकर संयुक्त रूप से बोंरिंग असफल घोषित करेंगें।

बोरिंग के असफल होने की स्थिति में कृषक के जमा धन से इस पर हुये व्यय का 10 प्रतिशत् अथवा अधिकतम रू0 1000.00 (रू0 एक हजार मात्र) काटकर शेष कृषक को वापस कर दिया जायेगा।

(6) हस्तान्तरण उपरान्त नलकूप का रख-रखाव कृषक द्वारा स्वयं किया जायेगा।

(7) बोरिंग पूर्ण होने के उपरान्त एक वर्ष तक यदि कृषक अन्य निर्माण कार्य पूर्ण कर लेता है तो वह अनुदान का हकदार होगा। अन्यथा स्थिति में यदि कोई अनुदान अवशेष बचता है तो उसे अधिशासी अभियन्ता द्वारा राजस्व मद में जमा कर दिया जायेगा।

(8) नलकूपों के निर्माण एवं जल वितरण प्रणाली हेतु बजटीय आवंटन (सी0सी0एल0) से उपलब्ध धनराशि तथा कृषक द्वारा जमा की गयी धनराशि को जोड़कर कुल उपलब्ध धनराशि में से पहले बजटीय आवंटन (कुल सी0सी0एल0 रू0 85000.00) का उपयोग किया जाये तथा उसके उपरान्त कृषक द्वारा जमा धनराशि का उपयोग इस प्रतिबन्ध के साथ किया जाये कि मध्यम नलकूप के निर्माण तथा जल वितरण प्रणाली की स्थापना हेतु 50 प्रतिशत अनुदान अधिकतम रू0 75000.00 एवं रू0 10000.00 कमशः देय होगा।

वार्षिक लक्ष्य का निर्धारण-

प्रत्येक वर्ष योजना के अन्तर्गत स्वीकृत परिव्यय के अनुरूप लक्ष्यों का निर्धारण पृथक से मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई के प्रस्ताव पर शासन द्वारा किया जायेगा। आवश्यकतानुसार जनपदों के लिये निर्धारित लक्ष्यों में परिवर्तन नियमानुसार स्वीकृतियाँ प्राप्त कर मुख्य अभियन्ता अपने स्तर से करेंगे।

ड्राइंग, मानक एवं दर का निर्धारण-

(1) योजना के अन्तर्गत निर्मित नलकूपों तथा अन्य कार्यो की डिजाइन एवं ड्राइंग का निर्धारण एवं स्वीकृति अधीक्षण अभियन्ता लघु सिंचाई द्वारा प्रदान की जायेगी तथा विभिन्न कार्यो हेतु दरों के निर्धारण के लिये अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई उत्तरदायी होंगे। योजना के अन्तर्गत

समस्त कार्य अधीक्षण अभियन्ता लघु सिंचाई द्वारा निर्धारित विशिष्टियों, मानकों एवं दरों के अनुसार ही किये जायेंगे।

बोरिंग हस्तानान्तरण के उपरान्त फेल होने पर निर्देशः-

इस सम्बन्ध में निर्देश निम्नानुसार हैः-

(1) बोरिंग हैण्डओवर होने के 6 माह के अन्दर (जिसमें यह माना गया है कि कृषक ने एक सीजन की सिंचाई कर ली होगी) यदि बोरिंग फेल होती है और निम्नलिखित में से कोई एक अथवा अधिक दोष प्रकाश में आते हैं तो विभागीय कर्मचारियों/अधिकारियों का दायित्व निर्धारित किया जायेगा।

(I) उपयुक्त सही साईज का एवं समुचित मात्रा में पी-ग्रेविल का न डाला जाना।
(II) बोरिंग का विकास सही ढंग से न किया जाना।
(III) ड्रिलिंग सही/सीधा न होना।
(IV) सामग्री के प्रयोग में कमी।
(V) अधोमानक सामग्री का होना।
(VI) वर्कमैनशिप में कमी।

(2) यदि बोरिंग का 6 माह अथवा एक सीजन में उपयोग हो गया है और उपरोक्त अवधि में बोरिंग ठीक ढंग से कार्य करती रही है तो विभाग का दायित्व न मानते हुये कृषक की शिकायत पर कोई कार्यवाही अपेक्षित न होगी। केवल लिखित शिकायत का ही संज्ञान लिया जायेगा।

(3) विभागीय दोष के कारण बोरिंग असफल होने की दशा में उत्तरदायित्व का निर्धारण पूर्व में विभाग द्वारा संचालित मध्यम गहरे नलकूप योजना हेतु निर्गत शासनादेश संख्या 216/62-2-2013-2/2(10)/2012, दिनांक 11.02.2013 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा।

(4) दोबारा बोरिंग किये जाने का निर्णय लेने पर व्यय भार के वहन हेतु अतिरिक्त बजट की आवश्यकता नहीं होगी अपितु इसका वहन विभागीय स्टॉक सेविंग/कन्टीजेन्सी से किया जायेगा।

(5) उत्तरदायित्व निर्धारण के पश्चात् पुनः बोरिंग कराने पर हुये व्यय की वसूली संबंधित कर्मचारी/अधिकारी से वित्तीय नियमों के अन्तर्गत करते हुये धनराशि को राजस्व मद में जमा किया जायेगा।

सामग्री क्रय की व्यवस्था-

मुख्यमंत्री लघु सिंचाई मध्यम गहरे नलकूप योजना के अन्तर्गत क्रय की जाने वाली सामग्रियों को प्राप्त बजट एवं कृषकों द्वारा जमा धनराशि से जेम पोर्टल के माध्यम से सुसंगत शासनादेशों एवं भण्डार क्रय नियमों के अनुरूप खण्ड स्तर पर की जायेगी।

अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण-

(1) यह योजना महत्वपूर्ण है तथा विभिन्न स्तरों पर इसकी गुणवत्ता की चेकिंग किया जाना आवश्यक है। इस योजना के सघन अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण के लिये जनपद स्तर पर सहायक अभियन्ता, खण्ड स्तर पर अधिशासी अभियन्ता एवं वृत्त स्तर पर अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे तथा वह इस योजना की प्रगति की पाक्षिक समीक्षा भी करेंगे एवं उसे मुख्य अभियन्ता को प्रेषित किया जायेगा तथा फील्ड में आने वाली कठिनाईयों का निराकरण तत्काल सुनिश्चित करेंगे।

(2) अवर अभियन्ता शत-प्रतिशत कार्यो हेतु उत्तरदायी होगें तथा योजना में निर्मित कार्यो का कम से कम 50 प्रतिशत् सत्यापन सहायक अभियन्ता, द्वारा 20 प्रतिशत् अधिशासी अभियन्ता द्वारा एवं 10 प्रतिशत् अधीक्षण अभियन्ता द्वारा किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उच्चतर अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारी द्वारा किये गये सत्यापन से अतिरिक्त कार्यो का सत्यापन करें।

(3) उपरोक्त योजना के प्रदेश स्तर पर कियान्वयन, अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण का दायित्व मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई का होगा।योजना के कियान्वयन के संबंध में अपेक्षित प्रार्थना-पत्र/अनुबन्ध एवं लेखा-जोखा रखने की प्रकिया व प्रगति संबंधी प्रारूप का निर्धारण मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई अपने स्तर से निर्धारित कर क्षेत्रीय अधिकारियों को समुचित निर्देश के साथ निर्गत करेंगे।

(4) उक्त योजनान्तर्गत सभी नलकूपों की जियो टैगिंग अनिवार्य रूप से करायी जायेगी।

(5) प्रगति का अंकन jjmup.org पर किया जायेगा।